

NOC

महाराष्ट्र शासन  
शिक्षण विभाग  
पत्र क्र. २४  
शिक्षण संयोजक विभाग-४६२००४

क्रमांक एफ २३-१४/२०११/२०-३

दिनांक २४/६/११

प्रति


सचिव  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल  
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

विषय - असाधारण शि्षण संस्था अर्थात् शिक्षण विभाग द्वारा सहाय्यता प्राप्त  
करावलेली संस्था जी सीडीएसई से संबंधित हेतु यह अनार्यता प्रमाण-पत्र  
प्रमाण-पत्र देणे के संबंध में

राज्य शासन द्वारा विद्यार्थियों को सहाय्यता हेतु एक शपथ पत्र  
के आधार पर संस्था को सीडीएसई से संबंधित हेतु यह अनार्यता प्रमाण-पत्र  
निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-


- (१) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल का अन्य बंध से संबंधित विद्यार्थियों  
के उपरांत भी संस्था/समितियों द्वारा राज्य शासन एक लोक शिक्षण  
संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विद्यार्थियों के  
संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा।
- (२) संस्था की प्रबंध कार्यकारी समिति में शिक्षण विभाग अधिकारी/उपस्थिति  
(मार्ग)अथवा उपाय एक प्रतिनिधि उपस्थिति में सम्मिलित करना  
होगा।
- (३) शिक्षण संस्था में मातृशिक्षण संचालनालय द्वारा दिए गए निर्देशों  
के अनुसार क्रियाशील अग्नि शान्त कक्षा की आवश्यक रूप से व्यवस्था  
होनी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा वैश्विक संस्था के संबंध  
में समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को  
करना होगा।

सहाय्यता के राजपत्र के म.म. से  
तथा आवश्यकतानुसार।




शिक्षण संयोजक  
अध्यक्ष

महाराष्ट्र शासन स्कूल शिक्षण विभाग

  
Principal,  
Aaditya Vidhya Vihar,  
Hr.Sec.School,Khargone  
School Code No.-50573

२४/६/११

  
Aaditya Vidhya Vihar  
Hr.Sec.School, Khargone

11211

पू0क0 एक क्रमांक एक 73-14/2011/20-3

भा0पाल दिनांक 28/6/11

प्रतिनिधि - -

1- सचिव, अशासकीय शिक्षण संस्था अधिनियम विद्या विहार हायर सेकण्डरी स्कूल छरगी, म.प्र. को लैबींग्स हेतु समकक्षता मागवता हेतु अनापत्ति पत्राग-पत्र निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है -


(1) संस्था लैबींग्स हेतु अनुसूचित माण्डवपट्टी को पूर्ण रूप से उपयुक्त नहीं है। इसका परीक्षण कम्पीय लैबोरेटरी में किया जाएगा।

(2) संस्था द्वारा अनापत्ति पत्राग-पत्र हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत आवेदन पत्र या शपथ-पत्र में दी गई जानकारी सत्य पायी जाने पर या उसका पालन नहीं करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा समकक्ष-समय पर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर या प्राप्त शिक्षण खर्च में सहायता-जमान पर राज्य शासन द्वारा जारी अनापत्ती पत्राग-पत्र निरस्त किया जा सकता है।

2- आयुक्त, लोक शिक्षण भा0पाल म.प्र.।

3- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला छरगी, म.प्र.।

4- ऑडर बुक।

  
28/6/11  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग  
02326911